2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में साबित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी में सायलान के दादा को उक्त भूमि का कब्जा मौखिक पारिवारिक बंटवाडे से प्राप्त हुआ है। अतः पारिवारिक बंटवाडे से आई आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित होना माना जाता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि पूर्व विवेचित दोनो बिंदू सायलान के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि मौखिक बंटवाडा पूर्व में हुआ है एवं सायलान के दादा के पक्ष में उक्त खसरान की संपूर्ण भूमि आई है। अतः यदि गैरसायलान वादग्रस्त आराजी में चले आ रहे नाम से उक्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण रहन कर देते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति कारित होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः यह बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **गैरसायलान** को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायलान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 108 रकबा 17.4095 हेक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)